

श। पत्रावली पेशा हुई कक-कक कर  
तीन छार हवाज दिलारि गई नतो  
अभिभाषक उपस्थित है और न  
ही अभिभाषक ऐसी स्थिति में  
न्यायालय इस पत्रावली को आगे  
अरकार रखना उचित नहीं समझती  
है अतः पत्रावली अदम लजरी अदम  
पैकी में खारिज की जाती है  
पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर  
से काम की जावे।

निर्णय आज दिनांक 6-1-2021 को खुले  
~~के~~ न्यायालय में सुनाया गया।



उप सचिव अधिकारी  
माणरोल जिला बारों (राज०)

